भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 25

(शुक्रवार, 2 फरवरी, 2018/13 माघ, 1939 (शक) को दिया गया)

कंपनियों के निरर्ह निदेशकों को राहत

25. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेश बाबूः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कंपनियों के निदेशकों को निरर्ह कर दिया है जो लंबे समय से अपनी वार्षिक फाइलिंग जमा करने में विफल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव ऐसे निरर्ह निदेशकों को कोई राहत प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 के साथ पठित धारा 164(2)(क) के अधीन तत्काल पूर्ववर्ती 3 (तीन) वित्तीय वर्षों (2013-14, 2014-15 और 2015-16) की अवधि के लिए लगातार वित्तीय कथन या वार्षिक विवरणी दायर न करने के कारण 3,09,619 निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया था।

(ख) और (ग): सरकार ने 01.01.2018 से "विलंब की माफी योजना - 2018" (सीओडीएस-2018) नामक एक योजना की घोषणा की है और यह दिनांक 31.03.2018 तक प्रभावी रहेगी। यह योजना चूककर्ता कंपनियों {2,26,166 कंपनियों को छोड़कर जिनके नाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(ग) के तहत दिनांक 31.12.2017 तक काटे गए हैं} और उनके निदेशकों को उनके बकाया दस्तावेज दायर करने और 'अनुपालनकर्ता' कंपनियां/निदेशक बनने का एक अवसर प्रदान करती है।

*****